

हरियाणा सरकार
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग
अधिसूचना

दिनांक 5 जून, 2015

संख्या सा0 का0 नि0 9/संवि0/अनु0 309/2015.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग मुख्यालय (गुप ग) सेवा नियम, 2013 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग मुख्यालय (गुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2015 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग मुख्यालय (गुप ग), सेवा नियम 2013 में, परिशिष्ट ख में, खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, संख्या 10 और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4
"10	चालक	(i) मैट्रिक; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iii) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; (v) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत।	स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा - (i) मैट्रिक; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iii) हल्का वाहन चालन का तीन वर्ष का अनुभव; (iv) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; (v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; (vi) यदि चालक के पद पर पहले से कार्यरत नहीं है तो पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए।"

अनिल कुमार,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT

Notification

The 5th June, 2015

No. GSR 9/Const./Art.309/2015.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Industrial Training Department, Headquarters (Group C) Service Rules, 2013, namely :-

1. These rules may be called the Haryana Industrial Training Department, Headquarter (Group C) Service (Amendment) Rules, 2015.
2. In the Haryana Industrial Training Department, Headquarter (Group C) Service Rules 2013, in Appendix B, under column 1, 2, 3 and 4, for serial number 10 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely :-

1	2	3	4
"10.	Driver	(i) Matric ; (ii) should have a light vehicle valid driving license, at least three years old. (iii) should have passed the driving test conducted by the Haryana Staff Selection Commission ; (iv) should not be colour blind ; (v) Hindi / Sanskrit upto Matric standard or higher education".	By transfer/deputation (i) Matric ; (ii) should have a light vehicle valid driving license, at least three years old ; (iii) three years experience of driving of light vehicle ; (iv) Hindi / Sanskrit upto Matric standard or higher education; (v) should not be colour blind; (vi) if not already working on the post of driver then should not be more than fifty years of age."

ANIL KUMAR,
Principal Secretary to Government Haryana,
Industrial Training Department.